राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

आपदा प्रबन्धन कानून 2005 के अनुरूप राष्ट्रीय स्तर आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल 9 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री (पदेन) इस प्राधिकरण का अध्यक्ष हैं तथा अन्य 9 सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

मध्यप्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन दिनांक 27 जनवरी 2006 को किया जा चुका है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों का विवरण निम्नवत है–

क्र0	नाम/विभाग	पद
1	मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश	अध्यक्ष
2	मंत्री राजस्व	सदस्य
3	मंत्री वित्त	सदस्य
4	मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सदस्य
5	मंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास	सदस्य
6	मंत्री आवास एवं पर्यावरण	सदस्य
7	मंत्री लोक निर्माण	सदस्य
8	मुख्य सचिव	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव गृह	सदस्य
10	प्रमुख सचिव राजस्व	सदस्य
11	महानिदेशक पुलिस, मध्यप्रदेश	सदस्य
12	जनरल आफिसर कमाडिंग, मध्य भारत, एरिया जलबपुर	सदस्य

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के अनुसार प्रत्येक जिले में ''जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण'' का गठन किया जाना है। मध्य प्रदेश में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन हेतु सचिव गृह (नोड्ल विभाग प्राकृतिक आपदाओं हेतु) द्वारा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन हेतु दिनांक 05.09.2007 को एक अधिसूचना जारी की गई। जिसका विवरण निम्नवत है –

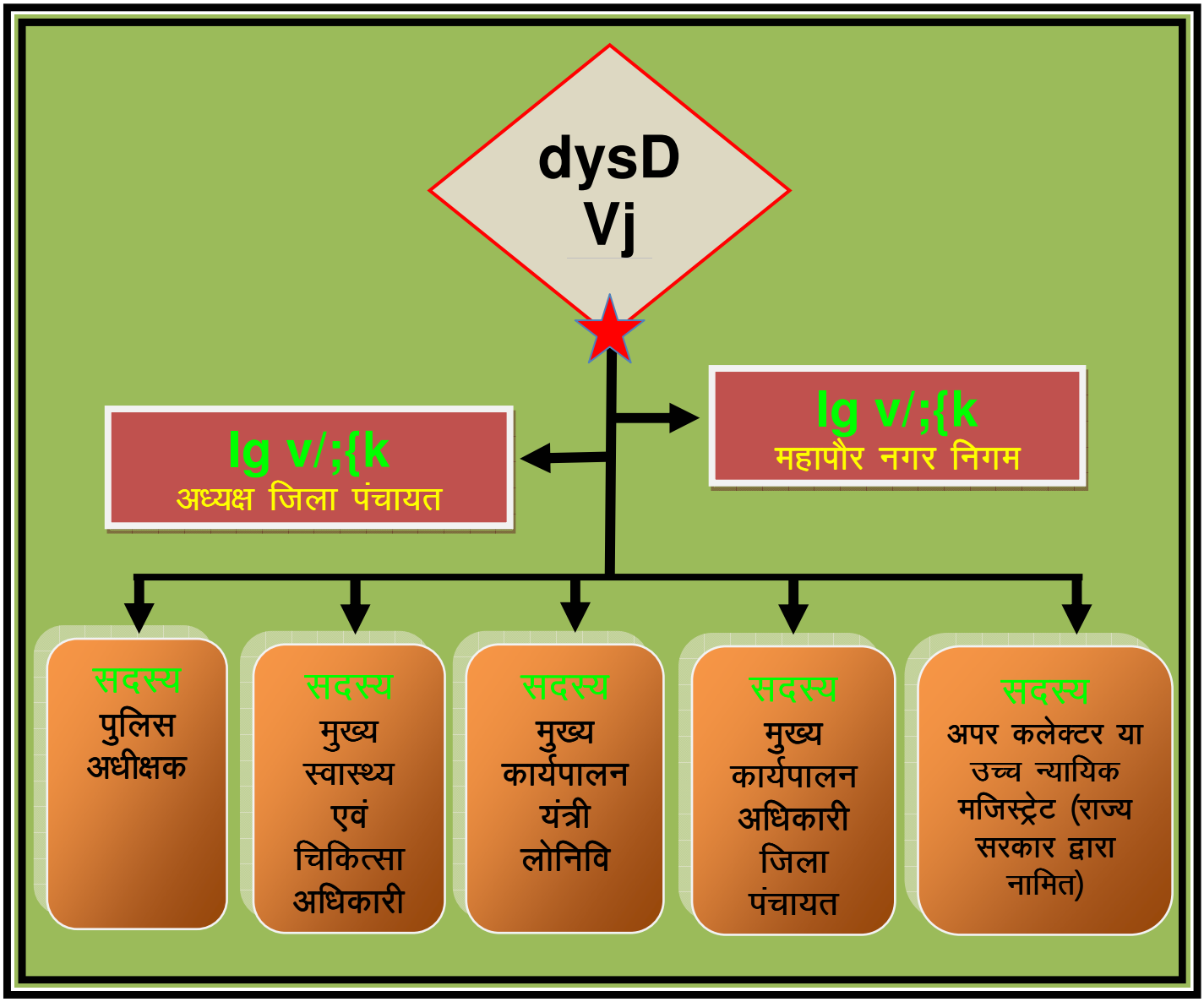

जिला प्राधिकरण की शक्तियाँ एवं कार्य

जिला प्राधिकरण आपदा प्रबंधन हेतु नियोजन, संयोजन एवं क्रियान्वयन तंत्र के रूप में कार्य करेगा, तथा आपदा प्रबंधन हेतु राज्य एवं राष्ट्रीय प्राधिकरण के दिशा निर्देशों का पालन करेगा।

1 ''जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना'' तैयार एवं लागू करना।
2 राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना एवं जिला योजना के क्रियान्वयन का संयोजन नियंत्रण एवं निरीक्षण करना।
3 जिले के आपदा संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि जिला स्तर के सभी शासकीय विभागों एवं स्थानीय निकायों द्वारा आपदा से बचाव एवं शमन हेतु आवश्यक नियोजन करना।
4 यह सुनिश्चित करना कि आपदा से बचाव, शमन कार्य, पूर्व तैयारी एवं अनुक्रिया संबंधी राष्ट्रीय प्राधिकरण एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों, जिला स्तरीय शासकीय विभागों, स्थानीय निकायों द्वारा पालन किया जा रहा है।
5 जिला स्तर पर विभिन्न, प्राधिकृत संस्थाओं एवं स्थानीय प्राधिकरणों को आपदा के बचाव अथवा शमनकार्य (जो भी आवश्यक हो) संबंधी आवश्यक निर्देश प्रदान करना।
6 स्थानीय प्राधिकरणों एवं जिला स्तरीय शासकीय विभागों द्वारा आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी करना।
7 जिला स्तर पर शासकीय विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं का क्रियान्वयन, निरीक्षण एवं नियंत्रण करना।
8 जिला स्तर के विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा तैयार की जा रही योजनाओं एवं परियोजनाओं में आपदा से बचाव एवं शमन कार्य हेतु दिशानिर्देश जारी करना।
9 क्रियान्वयन, निरीक्षण एवं नियंत्रण संबंधी समस्त उपायों को सुनिश्चित करना।

10 किसी भी आपदा अथवा आपदा की संभावना से निपटने हेतु क्षमता का आंकलन साथ ही जिला स्तरीय विभागों व प्राधिकरणों को क्षमता वृद्धि एवं विकास में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

11 पूर्व तैयारी का समय समय पर विश्लेषण करना तथा जिला स्तरीय विभागों व प्राधिकरणों को पूर्व तैयारी हेतु आवश्यक निर्देश देना जिससे किसी भी आपदा या आपदा की संभावना की स्थिति पर प्रभावकारी रूप से अनुक्रिया कर सकें।

12 जिला स्तर पर विभिन्न स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संयोजन एवं क्रियान्वयन करना।

13 स्थानीय प्राधिकरणों, प्रशासनिक एवं गैर प्रशासनिक संस्थाओं की सहायता से आपदा से बचाव या शमनकार्य के लिए सामुदायिक जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रबंध करना।

14 जनता को पूर्व चेतावनी तथा सूचना प्रसारण के लिए तंत्र विकसित करना, उसका रखरखाव करना, पुनःनिरीक्षण करना तथा उसके स्तर को बढ़ाना, प्राधिकरण का कार्य है।

15 जिला स्तरीय अनुक्रिया योजना का निर्माण, पुनः परीक्षण तथा स्तर सुनिस्चित करना।

16 यह सुनिश्चित करना कि जिला अनुक्रिया योजना के साथ ही, जिला स्तर के सभी शासकीय विभाग एवं स्थानीय प्राधिकरण अपनी अनुक्रिया योजना तैयार करें।

17 किसी भी आपदा या आपदा संभावित स्थिति से क्षमतापूर्वक निपटने हेतु जिला स्तर पर संबंधित विभागों के लिए स्थानीय सीमाओं के रहते हुए दिशानिर्देश निर्धारित करना।

18 जिले में आपदा प्रबंधन में लगे सभी शासकीय विभागों, संवैधानिक संस्थाओं, तथा अन्य शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाओं के क्रियाकलापों का संयोजन, परामर्श तथा सहायता करना।

19 स्थानीय प्राधिकरणों को आवश्यक परामर्श एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।

20 जिले के स्थानीय प्राधिकरणों को दिशानिर्देश देना एवं उनका संयोजन करना ताकि आपदा या आपदा संभावना उत्पन्न होने पर बचाव एवं शमन कार्य तत्काल एवं क्षमतापूर्वक किया जा सके।

21 आपदा से बचाव एवं शमन तत्व को शामिल किये जाने को दृष्टिगत करते हुए विभिन्न जिला स्तरीय शासकीय विभागों, संवैधानिक प्राधिकरणों या स्थानीय प्राधिकरणों की विकास योजनाओं का पुनः निरीक्षण परीक्षण करना।

22 जिले के निर्माण क्षेत्र का परीक्षण किया जाए, और यदि यह पाया जाए कि बचाव एवं शमन कार्य के लिए निर्धारित मानकों का अनुसरण नहीं किया गया है, तो संबंधित अधिकृत को उक्त मानको का अनुसरण करने के लिए निर्देशित करना।

23 ऐसे स्थानों एवं इमारतों की पहचान एवं चिन्हीकरण करना जिनका आपदा या आपदा संभावित स्थिति में राहत शिविरों की तरह उपयोग किया जा सके। साथ ही इन स्थानों पर जल आपूर्ति एवं नालीकरण आदि सफाई की भी पूर्व व्यवस्था सुनिश्चित करना।

24 राहत एवं बचाव कार्य संबंधी सामग्री का स्टॉक निर्मित करे अथवा इस तरह पूर्व तैयारी हो कि आवयश्यक सामग्री कम समय में उपलब्ध हो जाए।

25 आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी ''राज्य प्राधिकरण'' को दे।

26 ग्रामीण स्तर पर, जमीन तक कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों व स्वयंसेवी संस्थाओं को जिला आपदा प्रबंधन के लिए कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करें।

27 सुनिश्चित करें कि संचार तंत्र सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, साथ ही समय–समय पर आपदा प्रबंधन ''पूर्व अभ्यास'' करवाए जाए।

28 उपरोक्त के अलावा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त कार्य एवं अन्य कार्य जो जिला आपदा प्रबंधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, भी क्रियान्वयन करें।

बैठक :

- आवश्यकता पड़ने पर जिला प्राधिकरण की बैठक, अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय व स्थान पर होगी।

परामर्श समिति व अन्य समितियों का गठन

- जिला प्राधिकरण को यह अधिकार है कि आवश्यकता पड़ने पर वह एक या अधिक परामर्श समिति अथवा अन्य समितियों का गठन कर सके ताकि प्राधिकरण सुचारू रूप से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सके।
- जिला प्राधिकरण अपने सदस्यों में से किसी को भी इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। समिति या उप समिति से जुडे विशेषज्ञों को राज्य शासन के नियमानुसार भत्ता देय होगा।

जिला प्राधिकारण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्तियॉ

राज्य सरकार द्वारा जिला प्राधिकरण को आवश्यकतानुसार अधिकारी, परामर्शदाता एवं कर्मचारी उपलब्ध कराया जायेगा।

जिला योजना

जिला प्राधिकरण द्वारा, राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण के अनुसार तथा स्थानीय प्राधिकरणों से चर्चा एवं परामर्श के बाद जिला योजना तैयार की गयी है। इस जिला कार्य योजना को राज्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किये जाने पर इसे लागू किया जायेगा।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों के उत्तरदायित्व

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों के उत्तरदायित्व अग्रलिखित हैं। परन्तु इस समिति के सदस्यों के अलावा प्रत्येक नोडल अधिकारी अपने विभाग के संदर्भ में आपदा

प्रबंधन हेतु उत्तरदायी होगा। यह समिति एक एपेक्स (शिखर नुमा) नियोजन तंत्र है जो कि पूर्व तैयारी, शमन एवं अनुक्रिया, में मुख्य भूमिका निभाएगी।

तालिका 3.1

पद	उत्तरदायित्व
जिला कलेक्टर/ अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	• आपदा एवं जोखिम प्रबंधन हेतु नियोजन, संयोजन एवं मार्गदर्शन। • आपदा प्रबंधन कार्य योजना को लागू करना। • आपदा प्रबंधन हेतु विभिन्न मुख्य विभागों एवं एजेंसियों द्वारा जिला प्रशासन का निर्देशन एवं संचालन करना। • आपत क्रिया केन्द्र की स्थापना एवं गतिशीलता। • वार्ड एवं तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति (DMC) एवं आपदा प्रबंधन टीमों (DMT) का गठन। • समुदाय को जागरूक एवं गतिशील करना जिससे पूर्व तैयारी सुनिश्चित हो सके। • समुदाय की सक्रिय भागीदारी एवं समुदाय में विश्वास स्थापित करना। स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग, क्रियान्वयन लागत न्यूनतम रखना और तीव्र पुर्नलाभ हेतु कार्य योजना तैयार करना। • सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक एवं गैर–शासकीय संस्थाओ का संयोजन। • आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए सुविधाएं/सहायता प्रदान करना।

	• आपदा जोखिम प्रबंधन हेतु विभिन्न साधनों को खरीदना/बनाना/किराए पर लेना या पूर्व संविदा करना। • आकस्मिक आपदा स्थिति में तत्काल कैम्प, राहत कैम्प, खाद्य केन्द्र एवं मवेशी कैम्प आदि अनुक्रिया का संयोजन करना। • जिले की आपदा प्रबंधन वेव साइट का निर्माण तथा नियमित अपडेट करवाना। • निर्धारित समय पर जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठकों का आयोजन एवं अध्यक्षता करना। • जिले में आपदा प्रबंधन एवं पुर्नलाभ क्रियाओं का निरीक्षण, परीक्षण एवं मार्गदर्शन करना। • कम से कम वर्ष में दो बार जिला स्तरीय ''पूर्वाभ्यास'' (Mockdrills) करना। उपरोक्त के अलावा संभागीय कमिश्नर या उच्च प्राधिकृत निर्देशों के अनुसार कार्य करना।
सह–अध्यक्ष **जिला पंचायत अध्यक्ष**	• यह सुनिश्चित करना कि सभी उत्तरदायी एवं मुख्य विभाग अपनी भूमिका एवं उत्तरदायित्व ठीक प्रकार से कर रहे हैं। • नीति निर्धारक बैठकों में आपदा प्रबंधन के लिए लॉबी करना। • समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन नीति का क्रियान्वयन, अवलोकन एवं समीक्षा करना।

	• जिला आपदा एवं जोखिम प्रबंधन को कार्यान्वित करने में सहायता करना। • सामुदायिक जन जागरूकता हेतु वृहद् स्तरीय अभियान आदि में सहायता करना। • आपात काल में कलेक्टर की सहायता करना और मुख्यतः सूचना प्रसारण खोज एवं बचाव तथा राहत कार्यों, क्षति मूल्यांकन आदि में मद्द करना।
प्राधिकरण के अन्य सभी सदस्यगण	• जिला आपदा प्रबंधन योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में कलेक्टर को मद्द करना। • स्वयं के विभाग हेतु आपदा प्रबंधन योजना तैयार करवाना तथा साथ ही विभाग की उप इकाइयों हेतु, उदाहरणार्थ पुलिस स्टेशन, ड्यूटी स्टेशन, स्कूल, हॉस्पिटल आदि हेतु भी आपदा प्रबंधन योजना तैयार करवाना। • आपदा क्रिया केन्द्र के बारे में जानकारी प्रेषित करना। • जनजागरूकता एवं क्षमता वृद्धि द्वारा समुदाय में आपदा पूर्व तैयारी के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध करवाना। • विभागीय कर्मचारियों हेतु समय समय पर प्रशिक्षण का आयोजन करना। • विभागीय स्तर पर त्वरित अनुक्रिया टीम एवं क्षेत्र अनुक्रिया टीम का गठन एवं प्रशिक्षण। • आपातकालीन सहायक क्रिया (Emergency Support Functoins) की सहायक ऐजेंसियों का संयोजन करना

	एवं समयांतर बैठकें आयोजित करना। • विभागीय स्तर पर एवं उप विभागीय/इकाई स्तर पर वर्ष में दो बार ''पूर्वाभ्यास'' का आयोजन करवाना। • जिला आपात क्रिया केन्द्र (EOC) के क्रियाकलापों में सहायता करना। • आपातकाल में कलेक्टर के साथ संयोजन करना और उन्हें सहायता प्रदान करना। • अपने विभाग में आपदा पूर्व तैयारी के विषय में रिपोर्ट प्रस्तुत करना। • आपदाकाल में (DDMA) को विभाग में उपलब्ध संसाधन (मानव, भौतिक) उपलब्ध करवाना। • आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु कलेक्टर को अपने विभाग से सभी संभावित संसाधन (मानव, उपकरण एवं संचार) उपलब्ध करवाना। • आपदा सहनशक्ति बढ़ाने वाली तकनीको उदाहरणार्थ भूकंप रोधी मकानों के निर्माण हेतु भूकंप अभियांत्रिकी का सहयोग लेना। • अन्य कोई भी उत्तरदायित्व जो कि (डी0डी0एम0ए0) द्वारा सौंपा जाये।

आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 32 के अनुसार जिला स्तर पर कार्यरत सभी विभागों (भारत सरकार व राज्य सरकार) तथा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की देख–रेख में आपदा प्रबंधन कार्य योजना विकसित किया जायेगा। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जिला मन्दसौर में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंध प्राधिकरण की स्थापना की जायेगी। जिसका विवरण निम्नवत है।

1. **नगर पंचायत/नगरपालिका** : प्रभावी आपदा प्रबंधन को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक नगरपालिका में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जायेगा, जिसकी संरचना निम्नवत होगी : –

क्र0	पदनाम	पदाधिकारी
1.	नगरपालिका/नगर पंचायत अध्यक्ष (पदेन)	अध्यक्ष
2.	अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	सहअध्यक्ष
3.	अनुविभागीय अधिकारी पुलिस/ थाना प्रभारी	सदस्य
4.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	सचिव
5.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी/पी0एच0सी0 प्रभारी	सदस्य
6.	सहायक यंत्री/ उप यंत्री (विद्युत)	सदस्य
7.	सहायक यंत्री लोक निर्माण विभाग	सदस्य

2. **ग्राम पंचायत स्तर** : आपदा प्रबंधन को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन एवं क्रियाशील किया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर गठित किये जाने वाले प्राधिकरण की संरचना निम्नवत होगी : –

क्र0	पदनाम	पदाधिकारी
1.	ग्राम सरपंच (पदेन)	अध्यक्ष
2.	सचिव पंचायत	सचिव
3.	पटवारी	सदस्य
4.	ए0एन0एम0/एम0पी0डब्ल्यु0/आगनवाडी	सदस्य

	कार्यकर्ता	
5.	प्राधानाध्यापक माध्यमिक / प्राथमिक विद्यालय	सदस्य
6.	सर्वाधिक संवेदनशील वार्डो के 02 ग्राम पंचायत सदस्य (सरपंच द्वारा नामांकित)	सदस्य
7.	ग्राम कोटवार	सदस्य

नगर एवं ग्राम स्तर पर गठित प्राधिकरणों द्वारा किये जाने वाले प्रमुख कार्य निम्नवत होंगे : –

1. नियोजन
2. जागरूकता
3. प्रशिक्षण एवं क्षमता वृद्धि
4. आपदा पूर्व तैयारी एवं शमन
5. अनुक्रिया

उपरोक्त के तहत प्राभावी आपदा प्रबंधन को दृष्टिगत रखते हुए किये जाने वाले कार्यो का विवरण निम्नवत है –

1. स्थानीय स्तर पर विद्यमान आपदाओं खतरों का चिन्हीकरण।
2. खतरों से संवेदनशील क्षेत्रों, परिवारों, समुदायों की पहचान व सूचीकरण एवं मानचित्रीकरण।
3. आपदा या आपदा संभावित परिस्थिति में प्रभावी अनुक्रिया हेतु उपलब्ध संसाधनों (मानव एवं मशीन) का विश्लेषण तथा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4. मानव संसाधनों की क्षमता वृद्धि तथा मशीनी साधनों का उचित रखरखाव करना।

5. स्थानीय समुदाय को विभिन्न आपदाओं के आने अथवा संभावित स्थिति के समय ''क्या करें क्या न करें'' के संबंध में जानकारियां देना।
6. स्थानीय स्तर पर विभिन्न आपदाओं के संदर्भ में स्थानीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना तथा उसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रेषित करना एवं तैयार कार्य योजना को समय–समय पर (अधिकतम 1 वर्ष) अपडेट करना।
7. आवश्यकतानुसार परामर्श समीतियों का गठन करना।
8. किसी भी आपदा स्थिति में प्रभावी अनुक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्रकार के दलों का गठन एवं प्रशिक्षण।
9. स्थानीय स्तर पर लागू विकास योजनाओं में संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक आपदा प्रबंधन का संयोजन।